ालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
ासीन अधिकारीः–श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.
दमा नम्बरः–12/2019 प्रार्थना पत्र
ठुर जी स्थान देह पुजारी जानकीदास पिता भंवरदास बैरागी, उम्र बालिग निवासी एकलिंगपुरा सील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

------प्रार्थी

बनाम

श्री भैरू पिता देवा गाडरी, उम्र बालिग निवासी एकलिंगपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
श्री कालू पिता देवा गाडरी, उम्र बालिग निवासी एकलिंगपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
श्री उदयराम पिता हरलाल गाडरी, उम्र बालिग निवासी एकलिंगपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

-----विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

:: नि र्ण य ::

दिनांकः–25.2.2019

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू– राजस्व धिनियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम एकलिंगपुरा पटवार ल्का तिलोली तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 400, 402, 403, 406, 407, 2, 413, 450, 451, 453, 468, 478, 479, 481, 483, 537, 561, 627, 700, 701, 702, 707, 708 कुल ता 23 रकबा 21 बीघा 09 बिस्वा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण विवादित आराजियात पड़ौसी हैं। प्रार्थी के खाते व कब्जे काश्त की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण आये न सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे काश्त की राजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र ीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 04.1.2019 को पंजीबद्व किया जाकर जरिये म्मन विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 से 4 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। से शामिल पत्रावली किये गये । विपक्षीगण संख्या 1 से 4 उपस्थित नहीं। विपक्षी संख्या 1 से 4 को तनी ही मर्तबा विधिवत् आवाजे दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 6.2. 019 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया गया।

वकील प्रार्थी ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थी की एक तरफा हस सुनी गयी । बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी को अपने खाते व कब्जे ाश्त की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, फसल काटते मय सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे ाश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में फल रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आ दे श ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम एकलिंगपुरा पटवार हल्का तिलोली तहसील व जिला भीलवाड़ा में

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

त हाल आराजी नम्बर 400, 402, 403, 406, 407, 412, 413, 450, 451, 453, 468, 478, 479, 481, , 537, 561, 627, 700, 701, 702, 707, 708 कुल किता 23 रकबा 21 बीघा 09 बिस्वा भूमि की ना जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये अभिलेख निरीक्षक, कारोईकंला को 2100/—रूपये (दो हजार एक सौ रूपये) कमिश्नर फीस पर मेश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थी मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पक्षकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये सीलदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(टीना डाबी)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 25.2.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया या।

उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner